जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/28 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 19 फरवरी 2021

भाग-1

क्या जे.डी.सी.महोदय बतायेंगे कि जे.डी.ए. के जोन-1 में स्थित करोड़ों की सरकारी जमीन (बाईजी की कोठी,दूरदर्शन के पास, कल्ली के भट्टों की सरकारी जमीन,झालाना डूंगरी) पर कब्जे का जिम्मेदार कौन है??

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

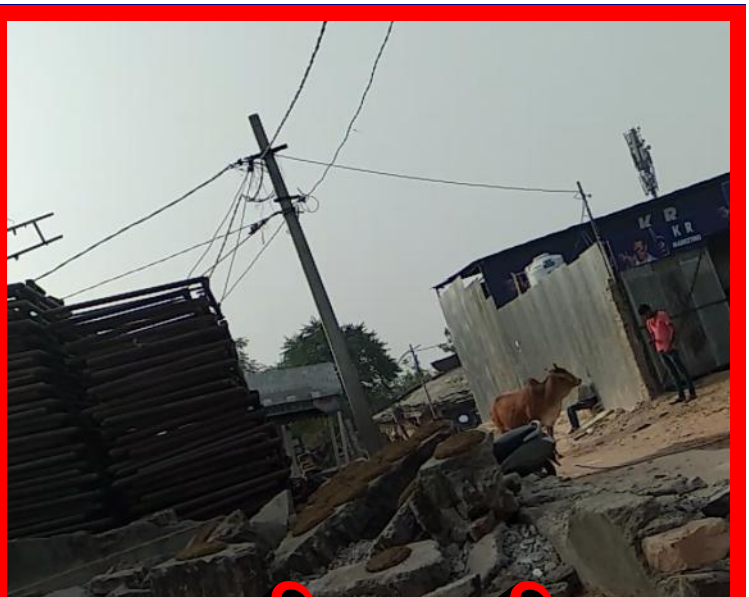

करोड़ों की सरकारी जमीन (बाईजी की कोठी,दूरदर्शन के पास, कल्ली के भट्टों की सरकारी जमीन,झालाना डूंगरी) पर हो चुके अवैध निर्माणों/ अतिक्रमणों की बानगी!!

मौके पर निर्मित अवैध फैक्ट्रियां,गोदाम,
मकान,सड़के बिजली के खम्बे आदि गवाही दे रहे है
कि यह सब भूमाफियाओं/जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा
सुनियोजित तरीके से कब्जे करने की साजिश है!!

सरकारी जमीन पर बस गयी बस्ती|

यह कहानी जे.डी.ए. के ज़ोन 1 में झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन की है,इस जमीन पर बरसों से भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि गढ़ी हुई है,विगत 10 सालों में इस सरकारी जमीन पर कई बार बस्तियां बसाने की कोशिशे की जा चुकी है और कई बार जे.डी.ए. इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चूका है,परन्तु भूमाफियाओं और जे.डी.ए. अधिकारीयों की मिलीभगत का नतीजा देखिये हर कार्यवाही के बाद इस सरकारी जमीन पर बस्तियां बस जाती है|परन्तु इस बार भूमाफियाओं द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर कब्जे किये जा रहे है जिसकी भनक जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों को भी है अब इस सुनियोजित साजिश में लगता है कि अब जे.डी.ए. के अधिकारीयों का हिस्सा भी तय हो चुका है तभी तो इस मामले में लाख शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार गहरी नींद में सोये हुए है|

स्थानीय सूत्रों के अनुसार अब इस सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनियां काट कर कई लोगो को बेचा जा चूका है,जिन्होंने इस सरकारी जमीन पर फैक्ट्रियां,गोदाम,मकान बना लिए है|अब तो हद है कि इस सरकारी जमीन पर बिजली के खम्बे ,पक्की सड़के तक बन चुकी है|इस सरकारी जमीन पर से कब्जे हटाने की मुहीम में जे.डी.ए. कई बार अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भी जारी कर चुका है और मुहीम चला कर कब्जे भी हटा चूका है परन्तु यह केवल फौरी कार्यवाही ही सिद्ध होती है|

जेडीए का अब जीरो टालरेंस • बैठक में महत्वपूर्ण फैसला

अतिक्रमण की 3 कैटेगरी; व्यावसायिक सरकारी इमारत और आवास पर अवैध निर्माण

इन्फो रिपोर्टर | जयपुर

शहर में अवैध निर्माण; अब होगी सख्त कार्रवाई

शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए जेडीए ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए ने शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण को रोकने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रवर्तन शाखा को जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।

कॉर्डिनेशन से काम करेगी जोन और प्रवर्तन शाखा, एसओएस सिस्टम डवलप होगा: जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि कई मामलों में जोन और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के बीच कॉर्डिनेशन नहीं होने से मामले का निस्तारण नहीं हो पाता ऐसे में जोन और प्रवर्तन शाखा के बीच कॉर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एसओएस यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इसमें स्टेप-टू-स्टेप काम होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर तारबंदी और चाउंडीवाल बनाने के टेंडर जारी होंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और रिहायशी आवास पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति निर्धारित होगी।

- **पहली कैटेगरी** – सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी।
- **दूसरी कैटेगरी**– व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण, समुचित पार्किंग सुविधा, भवन निर्माण में 60:40 अनुपात की पालना, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर आदि नियमों को पूरी तरह से पालना होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- **तीसरी कैटेगरी** – निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश होगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।

बड़े भूमाफिया का है काम

सूत्रों के अनुसार इस सरकारी जमीन पर कब्जे के पीछे कैलाश मीणा नामक स्थानीय गुंडे/हिस्ट्रीशीटर का हाथ है,जो जे.डी.ए. अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर इस सरकारी जमीन पर कब्जा करने की साजिश को अंजाम दे रहा है|

क्या यही है जे.डी.ए. की जीरो टोलरेंस निति

जे.डी.ए.के अधिकारी सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की निति की बात करते है परन्तु शहर की प्राईम लोकेशन पर स्थित इस सरकारी जमीन पर हो रहे सुनियोजित अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद कर रहे है,देखना यह है कि हमारे द्वारा जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में लाने के बाद वह इस सरकारी जमीन को कब्ज़ा मुक्त कर भूमाफियाओं के विरुद्ध मामले दर्ज करेंगे या फिर इस मामले को वापिस फाईलों में दफ़न कर देंगे|

जिम्मेदार अधिकारी

1. श्री गौरव गोयल ,जे.डी.सी. जे.डी.ए.
2. श्री ह्रदयेश शर्मा,सचिव,जे.डी.ए.
3. श्री रघुवीर प्रसाद सैनी,मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक,जे.डी.ए.
4. श्री उदयभान,प्रवर्तन अधिकारी,ज़ोन-1,जे.डी.ए.